(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–539–दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–12–2000 पारित द्वारा अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के प्र0 क्र0–63/अ/1991–92

.....

1– रामलखन सिंह पुत्र बृहस्पति सिंह
2– रंगबहादुर सिंह पुत्र बृहस्पति सिंह
3– पुष्पराज सिंह पुत्र बृहस्पति सिंह
4– अशोक कुमार सिंह पुत्र बृहस्पति सिंह
5– संतोष कुमार सिंह पुत्र बृहस्पति सिंह
6– सावित्री देवी विधवा बृहस्पति सिंह
7– बाकेलाल सिंह तनय तेजबलि सिंह
8– दर्शन सिंह तनय सिरोमनि सिंह
निवासीगण–ग्राम मझरेटीकला, तहसील सिहावल
जिला–सीधी(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– भैयालाल तनय गुलाब सिंह
2– उदयभान सिंह तनय बंशबहादुर सिंह
निवासीगण–ग्राम मझरेटीकला, तहसील सिहावल
जिला–सीधी(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 6/9/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मझरेकला में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 68 रकबा 0.80 एवं खसरा नं0 66 रकबा 0.20 एकड़ का नामांतरण किये जाने बावत् अनावेदकगण द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया । जहॉ सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 15/अ–6/87–88 में दिनांक 16.01.1990 से अनावेदकगण का आवेदन स्वीकार कर नामांतरण का आदेश पारित किया । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी, सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया । बन्दोबस्त अधिकारी सीधी ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुये दिनांक 09.03.1992 से आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है। बन्दोबस्त अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 63/अ/1991–92 पर पंजीबद्ध किया तथा दिनांक 21.12.2000 से अपील ठोस आधार के अभाव से निरस्त किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा है। अपर बन्दोबस्त आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.06.87 के विक्रय पत्र के आधार पर ही अनावेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया है। आवेदकगण ने इस आशय का आपत्ति आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी है, उसमें अंगूठे के निशान एवं हस्ताक्षर फर्जी है । इस संबंध में विचारण न्यायालय ने हस्तलिपि विशेषज्ञ से विक्रय पत्र जांच किये जाने के उपरांत ही आदेश पारित किया है। विचारण

न्यायालय ने नामांतरण नियमों का पालन करते हुये ही अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण किया है। जिसकी पुष्टि बन्दोबस्त अधिकारी एवं अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने भी अपने आदेशों से की है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप करने के आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 14.05.2007 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,